



जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. कल्लू बाबा पुत्र महीपत सिंह लोधी नि० कुईयां थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन 2. संजय यादव पुत्र मौजीलाल नि० तुफैलपुरवा थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन द्वारा समाज विरोधी क्रिया कलाप में संलिप्त होकर आमजनमानस को डरा धमकाकर अपने आर्थिक लाभ हेतु भय व दहशत फैलाने के सम्बन्ध में थाना कोत० उरई में मु०अ०सं० 935/2013 (वाद संख्या- 08/2014) धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 20.02.2024 को मा० न्यायालय एडीजे/एफटीसी/सीएडब्ल्यू/जीएसटी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा उपरोक्त समस्त अभियुक्तगण को दोषी पाते हुये 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000-10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



शिवदास पाण्डेय वि० लोक
अभियोजक गैंग० एक्ट



कोर्ट पैरोकार राकेश द्विवेदी

[@jalaunpolice](https://twitter.com/jalaunpolice)

[jalaunpolice](https://www.instagram.com/jalaunpolice)

[JalaunPolice](https://www.facebook.com/JalaunPolice)